संख्याः 330 /XVII(4)/2023-106/2005(48796)

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषयः–गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत राज्य को आवंटित किये जाने वाले खाद्यान के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4809/अनु0पो0यो0/5789/2022–23 दिनांक 02.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत राज्य को विभिन्न खाद्यानों का आवंटन किया जा रहा है, दिये गये निदेशानुसार इस खाद्यान के उपयोग की स्थाई व्यवस्था होने तक इस खाद्यान्न को समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के चयनित लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जायेगा। समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत संचालित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या–3069/XVII(4)/2013-129/06, दि0 05.12.2013, शासनादेश संख्या–1792/XVII(4)/2014-129/06, दि0 01.09.2014 एवं शासनादेश संख्या–435/XVII(4)/2015, दिनांक 30 अप्रैल, 2015(टी0एच0आर0 हेतु) एवं शासनादेश संख्या–117/XVII(4)/2006, दिनांक 16 मई 2008 (कुक्ड फूड हेतु) को अवक्रमित करते हुये अग्रिम आदेशों तक गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती हैः–

1– भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान का उठान– भारत सरकार द्वारा गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत समय–समय पर राज्य को विभिन्न खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किये गये खाद्यान्न जैसे गेहूँ एवं फोर्टीफाईड चावल के लिये क्रमशः रू0 2.00 प्रति किग्रा0 एवं रू0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा आवंटित किये जाने वाले खाद्यान्न का उठान राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर उठान किये गये खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा आवंटित किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्न भी राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाये जायेंगे, जिसके लिये उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित खाद्यान के मूल्य का भुगतान किया जायेगा। गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के मूल्य की धनराशि का भुगतान अनुपूरक पोषाहार के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

2– लाभार्थी वर्ग – गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित खाद्यान्न का वितरण समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों जैसे–06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलायें एवं धात्री माताओं तथा अतिकुपोषित बच्चों को किया जायेगा। लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा, भारत सरकार के द्वारा उक्त

आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष तय की जायेगी। वर्तमान में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या--CD-III-17/2/2022-CD.III-part1(e-100310), दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के द्वारा 1447.00 मी0 टन गेहूं एवं 1447.00 मी0 टन फोर्टीफाईड चावल का आवंटन किया है, सम्बन्धित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न आवंटित किया जायेगा :—

क्र0 सं0	लाभार्थी वर्ग	खाद्यान्न की मात्रा प्रति माह	
		गेहूँ	फोर्टीफाईड चावल
1	2	3	4
1	06 माह से 03 वर्ष के बच्चों,	1650 ग्राम	1650 ग्राम
2	गर्भवती महिलायें एवं धात्री महिलाओ	2500 ग्राम	2500 ग्राम
3	03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों	1650 ग्राम	1650 ग्राम

इसी प्रकार भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि/कमी होने के क्रम में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में तदनुसार निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। लाभार्थी को खाद्यान्न का वितरण आंगनवाड़ी केन्द/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख को पोषण दिवस की तिथि में किया जायेगा। उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में इससे एक दिन पूर्व/एक दिन पश्चात स्थानीय परिस्थिति के अनुसार किया जा सकेगा।

3— लाभार्थी तक खाद्यान्न के वितरण हेतु आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) की व्यवस्था—

1. गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य को आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गोदामों से ली जायेगी। इसके लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य मे स्थापित भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गोदामों से निर्धारित मात्रा में खाद्यान का उठान, खाद्य विभाग के बेस गोदामों तक तथा बेस गोदामों से आन्तरिक गोदामों तक तथा आन्तरिक गोदामों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक किया जायेगा।

2. विवेच्य है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा शिक्षा विभाग के साथ प्रधानमंत्री पोषण योजना (एम0डी0एम0) के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के मांगानुसार खाद्यान्न (चावल) का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से बेस गोदाम/बेस गोदामों से आन्तरिक गोदाम/आन्तरिक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं तक उठान कर संचरण किया जाता है। इसी तर्ज पर गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत खाद्यान्न का संचरण किया जायेगा। जिसमें आई0सी0डी0एस0/बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा केन्द्र से सम्बन्धित लाभार्थियों की शासनादेशानुसार आवंटित मात्रा का गोदामवार मांग पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम को मांग पत्र/गोदामवार आवंटन सूची उपलब्ध कराते हुये खाद्यान्न का संचरण किया जायेगा।

3. सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा खाद्य विभाग के आन्तरिक गोदामों से अपने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आवंटित मात्रानुसार खाद्यान्न का उठान किया जायेगा।

4. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने केन्द्र के लाभार्थियों के सापेक्ष आवश्यक मात्रानुसार खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

इस व्यवस्था के समुचित क्रियान्वयन हेतु राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से लेकर आंगनवाडी केन्द्र तक खाद्यान्न का उठान एवं आपूर्ति

करने वाले प्रत्येक स्तर (विभिन्न गोदाम/सस्ते गल्ले की दुकान/आंगनवाड़ी केन्द) की मैपिंग की जायेगी ताकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लेकर आंगनवाडी केन्द्र तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रत्येक स्तर के चिन्हित गोदामों/शासकीय सस्ते गल्ले की दुकान/केन्द्र आदि को खाद्यान्न के उठान की मात्रा एवं उसके उठान के केन्द्र तथा आपूर्ति किये जाने वाले स्थान की स्पष्ट जानकारी हो सके। मैपिंग की कार्यवाही, निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कार्य मे जुड़े समस्त विभाग के सक्षम कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष लाभार्थी को वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा सुनिश्चित होने के कारण आंवटित खाद्यान्न की मात्रा में परिवर्तन होने की स्थिति में लाभार्थी को वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा मे भी परिवर्तन किया जाना होगा। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह आवंटित खाद्यान्न के उठान से पूर्व मैपिंग की कार्यवाही कर सम्बन्धित विभाग के साथ साझा की जायेगी ताकि आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) प्रभावित न हो।

4— गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग, आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) के कियान्वयन आदि हेतु वित्त की व्यवस्था एवं भुगतान आदि की प्रकिया—

1. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य को आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाये जाने वाले खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि का भुगतान,भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित खाद्यान्न हेतु निर्धारित दरों के आधार पर निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

2. राज्य में स्थापित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा बेस गोदाम तथा बेस गोदाम से जनपदस्तरीय आन्तरिक गोदाम तक तथा आन्तरिक गोदामों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक किये जाने वाले खाद्यान्न की परिवहन की धनराशि (राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को एम0डी0एम0 योजना में भुगतान की जा रही धनराशि के अनुरूप जो वर्तमान में रू0 150.00 प्रति क्विंटल) का भुगतान रू0 150.00 प्रति क्विंटल की दर से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (मैदानी जनपदो हेतु संम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमाँयू/गढ़वाल तथा पर्वतीय जनपदों हेतु जिला पूर्ति अधिकारी) को खाद्यान्न की मात्रा के ढुलान के अनुसार की गई मांग के आधार पर किया जायेगा।

3. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से आंगनवाड़ी केन्द्र तक के ढुलान भाड़े का व्यय सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वहन किया जायेगा। इस व्यय हेतु सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को रू0 100.00 प्रति क्विंटल प्रति किमी0 (0—1 किमी0 की दूरी पर रू0 100 प्रति क्विंटल, 1—2 किमी0 की दूरी पर रू0 200 प्रति क्विंटल, 2—3 किमी0 की दूरी पर रू0 300 प्रति क्विंटल, 3—4 किमी0 की दूरी पर रू0 400 प्रति क्विंटल, 4—5 किमी0 की दूरी पर रू0 500 प्रति क्विंटल.....) की दर (न्यूनतम रू0 100.00 भले ही मात्रा एक क्विंटल से कम हो) के आधार पर आबंटित किया जायेगा।

उक्त निर्धारित धनराशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो का भुगतान निर्धारित अभिलेखो के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की संस्तुति पर निदेशालय द्वारा ढुलान के व्यय की प्रतिपूर्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय खातों में अन्तरित की जायेगी।

4. इसके अतिरिक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों को उनके द्वारा उठान किये गये एवं आंगनवाडी कार्यकती/मिनी आंगनावड़ी कार्यकर्ती को दिये गये खाद्यान्न के

एवज में रु0 180.00 प्रति क्विंटल की दर से (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार एन0एफ0एस0ए0–प्रभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निहित लाभांश की दर के अनुरुप) भुगतान किया जायेगा। लाभांश की धनराशि के बजट का आवंटन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी को किया जायेगा, जिनके माध्यम से लाभांश की धनराशि, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों के बैंक खातों में अन्तरित की जायेगी।

उक्तानुसार भुगतान की व्यवस्था के क्रियान्वयन, भुगतान के सापेक्ष लिये जाने वाले आवश्यक अभिलेख जैसे–मांग पत्र/बिल/चालान/प्रमाण पत्र/एकाउन्ट नम्बर आदि भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण इस कार्य से जुड़े विभाग के सक्षम कार्यालय आपसी समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे, ताकि आपूर्ति श्रंखला (Supply Chain) एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्बाध रुप से संचालित रहे। "गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम" के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपभोग को सुनिश्चित करने हेतु की जा रही उक्त समस्त व्यवस्थाओ में होने वाले व्यय का भुगतान, समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम हेतु उपलब्ध बजट से की जायेगी।

5– अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग – भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उपयोग हेतु किये गये उक्त प्राविधानों के अधीन इस कार्य से जुड़े समस्त विभाग अपने–अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार अभिलेखों का रख–रखाव एवं रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश/आदेश भी जारी करेंगे।

आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्राप्त एवं वितरित खाद्यान्न की मात्रा का निर्धारित पंजिकाओं पर नियमानुसार अंकन किया जायेगा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न का विवरण पोषण ट्रेकर में भी अंकित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े समस्त विभाग/कार्यालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारुप पर इस कार्यक्रम की नियमित प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग के साथ–साथ निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करेंगे।

6–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन– अनुपूरक पोषाहार के अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP) के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान के उपयोग हेतु की गई उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

1. मुख्य विकास अधिकारी – **अध्यक्ष**
2. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
3. जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य
5. जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी– सदस्य
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य–सचिव

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
21/02/2023

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या– 330 /XVII(4)/2023-106/2005 (48796) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव,खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त व्यवस्था के कियान्वयन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

21/02/2023

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।